न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालगंज।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–297 / 2026

विशम्भरपुर थाना काण्ड संख्या–08 / 2026 से उत्पन्न

आवेदकगण का नाम	:–1) आशीष राम पुत्र स्व0 सीता राम, 2) नरेश राम पुत्र स्व0 सीता राम, 3) शैलेष राम पुत्र नरेश राम, 4) नितेश राम पुत्र रामाशीष राम, 5) बीरबल राम पुत्र स्व0 भुलन राम, साकिनान–जमुनियां, थाना–विशम्भरपुर, जिला–गोपालगंज।
प्राथमिकी अन्तर्गत धारा	:–126(2), 115(2), 118(2), 109, 352, 351(2), 303(2), 329, 3(5) बी.एन.एस.
आरोप–पत्र	:–Not Submitted
आवेदिकागण की ओर से	:–श्री बसंत गिरी, विद्वान अधिवक्ता।
बिहार सरकार की ओर से	:–श्री देव वंश गिरी।

04.04.2026	आदेश	मंतव्य
	यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक / अभियुक्तगण 1) आशीष राम, 2) नरेश राम, 3) शैलेष राम, 4) नितेश राम एवं 5) बीरबल राम की ओर से विशम्भरपुर थाना काण्ड संख्या–08/2026, अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(2), 109, 352, 351(2), 303(2), 329, 3(5) बी.एन.एस. के संदर्भ में दाखिल किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन पर सुना गया। केस डायरी उपलब्ध है। यह अग्रिम जमानत आवेदन दो (05) अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान आवेदक संख्या–3) शैलेष राम की ओर से लिखित आवेदन के माध्यम से वापस लिया गया, अब यह अग्रिम जमानत आवेदन मात्र सात (04) अभियुक्तों के संदर्भ में सुना जा रहा है। अभियोजन के मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि सूचक किशोर कुमार राम के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक / अभियुक्तगण एवं अन्य के विरुद्ध विशम्भरपुर थाना काण्ड संख्या–08/2026, अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(2), 109, 352, 351(2), 303(2), 329, 3(5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। सूचक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन किया है कि दिनांक 18.01.2026 को समय करीब 10.00 बजे वह अपने दरवाजा पर बैठा था कि उसी समय उपरोक्त अभियुक्तगण हथियारों से लैश होकर अन्य अभियुक्तों के साथ उसके दरवाजे पर आये और गालियां देने देने लगे, उसी बीच नीतेश राम ने उसके सिर पर फरसा से हमला कर दिया, जो उसके सिर के बायें तरफ लगा और सर कट गया। इसी क्रम में शैलेश राम और नरेश राम व आशीष राम भी उसके शरीर पर लाठी, व भाला से मारने लगे। आगे आरोप है कि शोर पर उसके भाई अवधलाल आये, तो उसे भी नरेश राम उसके विकलांग भाई को मारने लगे और मु0 भवानो देवी अन्य औरतों के साथ उसके घर में घुसकर मु0 भवानो देवी ने अस्सी हजार रुपया की गहना पेटी से निकाल लिया तथा इंदु कुमारी ने बीस हजार रुपए नगद निकाल लिया। तद्नुसार	

लगातार **04.04.2026**	प्राथमिकी पंजीकृत की गयी। आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किये हैं। आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध सभी धाराएं जमानती प्रकृति के है, सिवाय बी.एन.एस की धारा–109 और 118(2) को छोड़कर, जिसे प्रकरण को अधिक गंभीर एवं गैर–जमानती बनाने हेतु जोड़ा गया है। आगे उनका कथन है कि सूचक एवं सूचक का परिवार अभियुक्त की भूमि पर अपना मकान निर्माण कर रहे थे, जिसका आवेदक द्वारा विरोध किया गया और निर्माण कार्य को रोका गया, जिसके कारण इस मामले की उत्पत्ति हुई। आवेदक/अभियुक्तगण न्यायालय के सभी शर्तों को पालन करने के लिए तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए। सुनवाई के दौरान सूचक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये और उन्होंने कथन किया कि आवेदक संख्या–4 सूचक पर फरसा से हमला करके बुरी तरह जख्मी करने का अभियोग है तथा अन्य अभियुक्तों पर भी सूचक और उसके विकलांग भाई को लोहे के रॉड, लाठी व भाला से मारपीट कर जख्मी कर दिए है, इसलिए आवेदकगण अग्रिम जमानत के हकदार नहीं है। प्राथमिकी के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक संख्या–4 पर अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक व उसके विकलांग भाई पर गाली–गलौज करते हुए लोहे के रॉड, लाठी–डंडा व फरसा से मारपीट करने का अभियोग है तथा उसी मारपीट के क्रम में आवेदक संख्या–4 पर सूचक के सिर पर फरसा से हमला करने का प्रत्यक्ष अभियोग लगाया है। यद्यपि वाद दैनिकी के साथ संलग्न जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन से दर्शित होता है कि जख्मी सूचक के बाईं ओर मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में चोट आयी है, लेकिन चिकित्सक ने सी.टी स्कैन की प्रतिवेदन के अनुसार सभी चोटें सामान्य प्रकृति की है और किसी कठोर तथा भोथरे पदार्थ से लगा हुआ बताया गया है। वाद दैनिकी की पैरा–02, 06 व 07 में सूचक व साक्षियों ने प्राथमिकी के कथनों को दोहराया है। आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से जमानत आवेदन के पैरा–06 में कथन किया है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन संबंधी विवाद है, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जो केस डायरी के पैरा–54 से दर्शित होता है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराधिक इतिहास वाद दैनिकी में दर्ज नहीं है। अनुसंधान अभी जारी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक संख्या–4 नितेश राम को निर्देश दिया जाता है कि वह **आज की तिथि से 04 (चार) सप्ताह के** अंदर निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर अपना नियमित जमानत आवेदन दाखिल करें और निम्न न्यायालय उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उनके जमानत आवेदन को इस आदेश से प्रभावित हुये बिना गुण–दोष के आधार पर निस्तारित करे। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन **निष्पादित** किया जाता है।	

लगातार **04.04.2026**	1) आशीष राम, 2) नरेश राम, 3) शैलेष राम एवं 5) बीरबल राम की ओर से भी अग्रिम जमानत आवेदन पर भी सुना गया। प्राथमिकी से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्तगण पर मारपीट एवं गालियां देने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। यद्यपि वाद दैनिकी की पैरा–02, 06 व 07 में सूचक व साक्षियों ने प्राथमिकी के कथनों को दोहराया है। वाद दैनिकी के साथ संलग्न जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन से दर्शित होता है कि जख्मी किशोर कुमार राम के बाईं ओर मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में चोट आयी है, लेकिन चिकित्सक ने सी.टी. स्कैन की प्रतिवेदन के अनुसार सभी चोटें सामान्य प्रकृति की है और किसी कठोर तथा भोथरे पदार्थ से लगा हुआ बताया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से जमानत आवेदन के पैरा–06 में कथन किया है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन संबंधी विवाद है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध विशिष्ट व प्रत्यक्ष अभियोग नहीं है, ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्तगण की संलिप्तता अस्पष्ट है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण 1) आशीष राम, 2) नरेश राम, 3) शैलेष राम एवं 5) बीरबल राम को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा इन परिस्थितियों में धारा–482 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के शर्तों के अधीन रहते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को इस आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार किये जाने या आत्मसमर्पण करने पर निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर 10,000 X 2 (दस हजार का दो) प्रतिभू तथा इतनी ही धनराशि का बंधपत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता हैः– 1. आवेदक/अभियुक्तगण अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेंगे। 2. आवेदक/अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार स्थानीय होंगे तथा अपने स्थायी पता एवं पहचान–पत्र का दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। 3. आवेदक/अभियुक्तगण किसी प्रकार साक्ष्य व साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे। लेखापित एवं शुद्धित ह0/– (गीता गुप्ता) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालगंज। 04.04.2026	